nwda.gov.in

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

संख्याः राजविअ/निदे.(प्रशा.)/12/आरटीआई/2024/6562-98 दिनांकः 22.08.2024

कार्यालय ज्ञापन

ऐसा संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में कुछ आर.टी.आई. से संबंधित अपीलीय मामले जोकि विभिन्न सी.पी.आई.ओ. से संबंधित है, समय सीमा बीत जाने के बाद भी उनका निस्तारण नहीं हुआ है। आर.टी.आई. और उनसे संबंधित मामलों का निस्तारण एक निश्चित समय सीमा का कार्य है जिसका नियत समय में निस्तारण होना चाहिए। अतः सभी सी.पी.आई.ओ. को सलाह दी जाती है कि आर.टी.आई. आवेदनों का समय से निस्तारण करें।

2. ध्यातव्य है कि सभी आर.टी.आई. आवेदन को 30 दिनों एवं प्रथम अपील आवेदन का भी 30 दिनों में निस्तारण होना चाहिए। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि जिस सी.पी. आई.ओ. ने मूल आर.टी.आई. आवेदन का निस्तारण किया है, यदि उसी आर.टी.आई. से संबंधित अपील आती है तो वही सी.पी.आई.ओ. जिसने आर.टी.आई. का निस्तारण किया था, अपील से संबंधित दस्तावेज, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख, अपील निस्तारण हेतु प्रस्तुत करेगा।

3. साथ ही सभी सी.पी.आई.ओ. को यह सलाह दी जाती है वह नियमित अंतराल पर आर. टी.आई. आवेदनो को मेल पर अवलोकन करते रहे, जिससे कि आर.टी.आई. पोर्टल के द्वारा संबंधित सी.पी.आई.ओ. को दिए जाने वाले अनुस्मारक मेल से अद्यतन जानकारी मिलती रहे, और समय सीमा के अन्दर ही आर.टी.आई. आवेदन एवं अपील का निस्तारण किया जा सके।

राहुल द्विवेदी
(राहुल द्विवेदी)
निदेशक (प्रशा.) एवं नोडल अधिकारी,
(आर.टी.आई.)

प्रति,

1. मुख्य अभियंता (दक्षिण)/(उत्तर), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद/लखनऊ।
2. निदेशक (तक.)/(वित्त)/(एम.डी.यू.)/(प्रशा.), रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
3. अधीक्षण अभियंता (उत्तर)/(दक्षिण), रा.ज.वि.अ., पालिका भवन, नई दिल्ली।
4. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ. ।
5. अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ. ।
6. सहायक अभियंता, अन्वेषण उप–प्रभाग, रा.ज.वि.अ., जयपुर/पन्ना ।
7. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
8. सर्तकता अनुभाग, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
9. बेव मास्टर, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
10. नोटिस बोर्ड, साकेत/पालिका भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता (मु0) के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।